

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।




सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-168 / 2019-20

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/07/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता बासनी देवी पति स्व0 आशु रजवार जाति-रजवार, ग्राम-बेलुंजा, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बेलुंजा, थाना नं0-71 के खाता संख्या-347, प्लॉट नं0-1051, 1052, 1050, 1053, कुल रकवा-0.77½ एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 115/भू0सु0, दिनांक 17.02.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 710 दिनांक 28.04.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान सत्या रजवा वो आशु रजवार के नाम से दर्ज है। 2. (क). विक्रेता ग्राम-बेलुंजा, थाना-चास (मु0), जिला-बोकारो के हैं। (ख). क्रेता ग्राम-बेलुंजा, थाना-चास (मु0), जिला-बोकारो के हैं। 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के रजवार हैं, जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात् 1.74 एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को हाल सर्वे खतियान द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-11 के थोका संख्या-347/1 में कायम है। लगान रसीद 2019-20 तक निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किरम- गोड़ा 2 एवं मकान सहन है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-बेलुंजा, थाना नं0-71 के खाता संख्या-347, प्लॉट नं0-1051, 1052, 1050, 1053, कुल रकवा-0.77½ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2016/802901 - दिनांक 13-01-2017 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र-JHRC/2019/237616 दिनांक 14.03.2019, एवं प्रमाण पत्र संख्या-JHRC/2019/596280 दिनांक 07.08.2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता बासनी देवी पति स्व० आशु रजवार जाति-रजवार, ग्राम-बेलुंजा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-बेलुंजा, थाना नं०-71 के खाता संख्या-347, प्लॉट नं०-1051, 1052, 1050, 1053, कुल रकबा-0.77½ एकड़ भूमि क्रेता 1. मेनका देवी पति शंकर-चन्द्र रजवार, 2. अरुणा देवी पति सुधीर रजवार, ग्राम- बेलुंजा, थाना- चास (मु०), जिला- बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	<p></p>